


08/04/21

पत्रावली पेरा हुई। वकील प्रार्थी अपेक्षित
चुंकि प्रकरण से सम्बन्धित मूल वादपत्र का
निस्तारण आज गुणावगुण (Mevant) पर किया
जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सी.आर.
में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः
कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर उष्ण की जाती
है। पत्रावली फ़ैसल नुमार होकर नम्बर से ऊपर
हो तब वाद तत्काल दाखिल दफ़्तर हो।
अह निम्न मेरे द्वारा आज दिनांक 08/04/21
को न्यायालय मुद्रा सहित हस्ताक्षरित कर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।


(रकेश कुमार)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
खण्डला, सीकर